न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2025 दायर तारीख:– 13.06.2025

उनवान

अशोक कुमार बसेठिया पुत्र नवल किशोर बसेठिया, जाति रैगर, निवासी मण्ढा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

2 सब रजिस्ट्रार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

3 रामप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द, जाति रैगर, निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय **दिनांक : 09/09/25**

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17, 1994/0.33, 1996/0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17 में से हिस्सा 7/17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994/0.33 में से हिस्सा 9/33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996/0.84 सम्पूर्ण को प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9–5–2024 को अप्रार्थी संख्या 3 से खरीदकर मालिक काबिज चला आ रहा है।

2. प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17 में से हिस्सा 7/17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994/0.33 में से हिस्सा 9/33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996/0.84 सम्पूर्ण को प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9–5–2024 द्वारा खरीदकर राजस्व कर्मचारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्वतः स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 9–5–2024 के द्वारा प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण खोलते समय सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 1993/2737/0.17, 1994/0.33, 1996/0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया । जबकि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17 में से हिस्सा 7/17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994/0.33 में से हिस्सा 9/33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996/0.84 सम्पूर्ण खरीद की गयी थी जिसका नामान्तकरण ही प्रार्थी के नाम दर्ज होना चाहिये था।

3.

4. अब प्रार्थी ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि राजस्व कर्मचारिया ने सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17, 1994/0.33, 1996/0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया है। इस पर प्रार्थी ने तहसीलदार पावटा को हिस्सा दुरूस्त करने हेतु कहा लेकिन तहसीलदार पावटा से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा। इसलिये प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना–पत्र में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हांसिल है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

5. अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17, 1994/0.33, 1996/0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17 में से हिस्सा 7/17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994/0.33 में से हिस्सा 9/33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996/0.84 सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दर्ज किये जाने व शेष भूमि में तत्कालीन खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की तामिल करवायी गयी। अप्रार्थी सं. 03 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा इस कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं. 01 पैराकार सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त प्रकरण में बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है कि जिम्मन नं. 1 के राजस्व रिकार्ड के तथ्य है स्वीकार है। जिम्मन नं. 2 में यह है कि मूताबिक विकय पत्र दिनाक 09.05.2024 को क्रेता अशोक कुमार बसेठिया पुत्र श्री नवल किशोर द्वारा ग्राम झीड़ागढ़ में आराजी खसरा नम्बर 1993/2737 रकबा 0.17 है. में से 0.07 है. भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.33 है. में से 0.09 है. भूमि एंव खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.84 की सम्पूर्ण भूमि इस प्रकार कुल 1.00 है. भूमि का कय किया गया था। जिम्मन न. 3 में यह है कि मूताबिक विक्रय पत्र दिनाक 09.05.2024 को क्रेता अशोक कुमार बसेठिया पुत्र श्री नवल किशोर द्वारा ग्राम झीडागढ़ में आराजी खसरा नम्बर 1993/2737 रकबा 0.17 है. में से 0.07 है. भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.33 है. में से 0.09 है. भूमि एंव खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.84 की सम्पूर्ण भूमि इस प्रकार कुल 1.00 है. भूमि का कय किया गया था इस विक्रय पत्र का आटो म्युटेशन होने पर आराजी खसरा नम्बर 1993/2737,1994,1996 का सम्पूर्ण रकबा 1.34 है. क्रेता के नाम दर्ज हो गया जो विधिक नहीं है। प्रार्थी मूताबिक विक्रय पत्र दिंनाक 09.05.2024 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1993/2737 रकबा 0.17 है. में से 0.07 है. भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1994 रकबा 0.33 है. में से 0.09 है. भूमि एवं खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.84 की सम्पूर्ण भूमि इस प्रकार कुल 1.00 है. भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने तक का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

7. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17, 1994/0.33, 1996/0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर आराजी खसरा नम्बर 1993/2737/0.17 में से हिस्सा 7/17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994/0.33 में से हिस्सा 9/33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996/0.84 सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दर्ज किये जाने व शेष भूमि में तत्कालीन खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार पावटा से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। आराजी खसरा नंबर 1993 / 2737 / 0.17, 1994 / 0.33, 1996 / 0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर आराजी खसरा नम्बर 1993 / 2737 / 0.17 में से हिस्सा 7 / 17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994 / 0.33 में से हिस्सा 9 / 33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996 / 0.84 सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दर्ज किये जाने व शेष भूमि में तत्कालीन खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत समझते है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1993 / 2737 / 0.17, 1994 / 0.33, 1996 / 0.84 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके मौजा झीडागढ, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर आराजी खसरा नम्बर 1993 / 2737 / 0.17 में से हिस्सा 7 / 17 यानि 0.07 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1994 / 0.33 में से हिस्सा 9 / 33 यानि 0.09 हैक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 1996 / 0.84 सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दर्ज किये जाने व शेष भूमि में तत्कालीन खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 का नाम दर्ज कर दुरूस्त करने के तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पावटा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

निर्णय आज दिनांक 09/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै ईजलास सुनायाा गया ।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा, कोटपूतली–बहरोड़